



(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017 कर्टेट

॥ विविद भिण्ड ॥ दृष्टि १० | २०१७/५८७

श्री...विविद पाठ्य
दृष्टि आज हि
प्रस्तुत । 10-11-०१७

विविद भिण्ड कोटि/१०/११/१७
शास्त्र संस्कृत मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रस्तुत । १३-११-१७

✓ श्री...विविद पाठ्य

1. ब्रह्मलाल शिवहरे पुत्र श्री बसंत लाल,
निवासी—बीरेन्द्र नगर, भिण्ड
2. आशुतोष जोशी पुत्र मेघनाथ जोशी,
निवासी—अग्रवाल कॉलोनी, भिण्ड (म.प्र.)
3. रामकुमार पाठक पुत्र दीनानाथ पाठक
4. संतोष कुमार शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा,
5. शंभू सिंह कुशवाह पुत्र दामोदर सिंह कुशवाह,
राजेश सिंह चौहान पुत्र अजब सिंह चौहान,
समरत निवासी—वाटर वक्स रोड, भिण्ड (म.प्र.)
6. विश्वजीत सिंह कुशवाह पुत्र भूपेन्द्र सिंह कुशवाह,
7. कौशलेन्द्र सिंह भद्रौरिया पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह
भद्रौरिया
8. हरपाल सिंह तोमर पुत्र महेश सिंह तोमर,
9. 10. दीप सिंह तोमर पुत्र वीर सिंह तोमर, निवासी—
बंगला बाजार, भिण्ड (म.प्र.)
11. प्रगोद तोमर पुत्र श्री दीप सिंह तोमर, अरोरा
फार्म भिण्ड (म.प्र.) ——आवेदकगण

विरुद्ध

1. श्री संतोष तिवारी,
अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड (म.प्र.)
2. शीलेन्द्र सिंह कुशवाह,
थाना प्रभारी—सिटी भिण्ड (म.प्र.)
3. भ्रमेन्द्र कुशवाह कुशवाह अन्नपूर्णा भिण्ड (म.प्र.)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 12 अवमानना अधिनियम

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण

क्रमांक—११/निगरानी/भिण्ड/मू.रा./2017/3002, में

पारित आदेश दिनांक ०१/१२/2017 की अवहेलना किये

जाने के विरुद्ध प्रस्तुत।

(७)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मोप्र० ऊवालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन/अपील/भिण्ड/लो.न्यास अधि./2017/3002 - विरुद्ध आदेश दिनांक 19-5-2017 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी सह पब्लिक रजिस्ट्रार भिण्ड - प्रकरण 01/2016-17 बी-113

- 1- ब्रह्मलाल शिवहरे पुत्र बसंतलाल वीरेन्द्र नगर भिण्ड
- 2- आसुतोष जोशी पुत्र मेघनाथ अग्रवाल कालोनी भिण्ड
- 3- रामकुमार पाठक पुत्र दीनानाथ
- 4- संतोषकुमार पुत्र रामस्वरूप शर्मा
- 5- शंभूसिंह पुत्र दामोदर सिंह कुशवाह
- 6- राजेशसिंह पुत्र अजबसिंह चौहान सभी निवासीगण वाटर वर्कर्स रोड भिण्ड मध्य प्रदेश
- 7- विश्वजीत सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह कुशवाह
- 8- कोशलेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह भदौरिया
- 9- हरपाल सिंह पुत्र महेशसिंह तौमर सभी निवासीगण नबादा भिण्ड मध्य प्रदेश
- 10-दीपसिंह पुत्र बीरसिंह तौमर, बंगला बाजार भिण्ड
- 11-प्रमोद पुत्र दीपसिंह तौमर अरोरा फार्म भिण्ड

----अपीलान्ट्स

विरुद्ध

सुमेर चन्द्र अग्रवाल पुत्र मायाचन्द्र
बंगला बाजार भिण्ड, मध्य प्रदेश

---- रिस्पाउण्डेन्ट

(अपीलान्ट्स के अभिभाषक श्री मनोज कुलश्रेष्ठ)
(रिस्पाउण्डेन्ट के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)

आ दे श
(आज दिनांक १६-०५-२०१४ को पारित)

यह अपील अनुविभागीय अधिकारी सह पब्लिक रजिस्ट्रार भिण्ड द्वारा प्रकरण 01/2016-17 बी-113 में पारित आदेश दिनांक 19-5-2017 के विरुद्ध मोप्र०लोक न्याय अधिनियम 1951 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि रिस्पाउण्डेन्ट ने अनुविभागीय अधिकारी सह रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भिण्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मांग की कि पुराने रेल्वे

M

स्टेशन के पास बंगला बाजार मिण्ड स्थित 70 फीट चौड़ी पूरब-पश्चिम व 130 फीट गहरी दक्षिण पार्क हेतु दी गई जगह, जिसमें दुकानात भी बनी है, गुलाबचंद/मायाचंद अग्रवाल द्रस्ट के नाम से रजिस्ट्रेशन हेतु नियमावली सहित प्रस्तुत है। अनुविभागीय अधिकारी सह रजिस्ट्रार पब्लिक द्रस्ट मिण्ड ने प्रकरण 01/2016-17 बी-113 पैंजीबद्ध किया तथा विज्ञप्ति का प्रकाशन करने के उपरांत सुनवाई कर आदेश दिनांक 19-5-2017 पारित किया तथा प्रस्तुत बायलाज मान्य करते हुये द्रस्ट का पैंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अपीलांट्स के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी सह रजिस्ट्रार पब्लिक द्रस्ट मिण्ड ने पब्लिक द्रस्ट एक्ट के आशय को समझाने में भूल की है एंव समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा द्रस्ट गठन की प्रक्रिया का पालन किये बिना आनन फानन में आदेश पारित किया है। रजिस्ट्रार पब्लिक द्रस्ट मिण्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि जिस द्रस्ट का वह गठन कर रहे हैं उसके सभी सदस्य बाहर के व्यक्ति हैं जिस स्थान पर द्रस्ट गठन किया गया है उसी स्थान पर अपीलांट्स पैत्रिक जमाने से दुकानदारी करते आये हैं जिन्हें द्रस्ट का सदस्य बनाया जाना चाहिये था। रिपा. ने रजिस्ट्रार पब्लिक द्रस्ट के समक्ष मुकेश एंव मनोज कुमार के साक्ष्य में कथन कराये हैं जिन पर प्रतिपरीक्षण का किसी को मौका नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रार पब्लिक द्रस्ट ने किसी भी दुकानदार को सुनवाई के लिये तलब नहीं किया है और कोई सूचना भी नहीं दी है इसलिये समस्त कार्यवाही एकपक्षीय होने से निरस्त की जावे।

रिपा. के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांट्स द्वारा सार्वजनिक हित के द्रस्ट की दुकानों पर जबरन कब्जा कर रखा है एंव मनमानी करके द्रस्ट को किराया भी नहीं देते हैं। वाद विचारित भूमि एंव निर्मित दुकानें सार्वजनिक द्रस्ट की संपत्ति हैं जिसका गठन पब्लिक के हित में होना जरूरी था जिसके कारण द्रस्ट का गठन करके पैंजीयन कराया गया है। रजिस्ट्रार पब्लिक द्रस्ट मिंड ने भलीभांति जांच परख करके आम नागरिकों के हित में द्रस्ट का गठन किया है इसलिये मामला सार्वजनिक हित का होने से अपील व्यर्थ है जिसे निरस्त किया जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने पर प्रथम दृष्टया ध्यान देने योग्य है कि क्या म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक द्रस्ट द्वारा की गई कार्यवाही अथवा पारित आदेश के विरुद्ध राजस्व न्यायालय

में अपील/ निगरानी प्रचलन-योग्य है ? म0प्र0 लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 7 एवं 8 इस प्रकार है :-


7- पंजीयक क्वारा रजिस्टर में प्रविष्टियों करवाना -

- (1) पंजीयक धारा 6 के अंतर्गत उसके क्वारा अभिलिखित निष्कर्ष के अनुसार रजिस्टर में प्रविष्टियां करवाएगा और उसके कार्यालय के सूचना पटल पर रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को प्रकाशित करवाएगा।
- (2) इस प्रकार की गई प्रविष्टियां इस प्रावधान के अध्याधीन होंगी और इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन अभिलिखित किरी परिवर्तन अथवा इसके अंतर्गत निर्मित नियम के अध्याधीन अंतिम और निश्चयात्मक होंगी।

8- पंजीयक के निष्कर्ष के विरुद्ध सिविल वाद -

- (1) धारा 6 के अंतर्गत पंजीयक के किसी निष्कर्ष से क्यानित कार्यकारी न्यासी अथवा लोक न्यास या न्यास संपत्ति के रूप में प्राप्त किसी संपत्ति में हित रखने वाला कोई क्यानित धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह के भीतर ऐसे निष्कर्ष को अपास्त करने अथवा उपांतरित करने के लिए सिविल वाद संस्थित कर सकेगा।
- (2) ऐसे प्रत्येक वाद में सिविल न्यायालय राज्य सरकार को पंजीयक के माध्यम से सूचना देगा और यदि राज्य सरकार यदि ऐसी वांछा करती है तो वाद में उसे पक्षकार बनाया जाएगा।
- (3) वाद के अंतिम निर्णय पर पंजीयक यदि आवश्यक हो तो ऐसे निर्णय के अनुसार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को सही करेगा।

स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी सह पब्लिक रजिस्ट्रार भिण्ड क्वारा प्रकरण 01/2016-17 बी-113 में म0प्र0लोक न्याय अधिनियम 1951 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 19-5-2017 के विरुद्ध राजस्व मण्डल में अपील सुनवाई योग्य नहीं होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है। राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक दो/विविध/भिण्ड/भू.रा0/2017/4347 पर भी यह आदेश लागू होने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।



(एस.एस.अलावी)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर